# लोकपाल विधेयक, 2011

खंडों का क्रम


**अध्याय 1**

**प्रारंभिक**

**खंड**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभा-ाएं ।

**अध्याय 2**

**लोकपाल की स्थापना**

3. लोकपाल की स्थापना ।
4. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और चयन समिति ।
5. अध्यक्ष या सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना ।
6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।
7. अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ।
8. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य का हटाया जाना और निलंबन ।
9. अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर निर्बंधन ।
10. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना ।
11. लोकपाल का सचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद ।

**अध्याय 3**

**अन्वे-ाण खंड**

12. अन्वे-ाण खंड ।
13. अन्वे-ाण अधिकारी को पुलिस की शक्तियां होना ।
14. अन्वे-ाण अधिकारी द्वारा लोकपाल के निदेश पर जांच करना ।

**अध्याय 4**

**अभियोजन खंड**

15. अभियोजन खंड और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति ।

**अध्याय 5**

**लोकपाल की संस्था के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना**

16. लोकपाल के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना ।

**अध्याय 6**

**जांच के संबंध में अधिकारिता**

17. लोकपाल की अधिकारिता ।
18. लोकपाल से पूर्व किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों का प्रभावित न होना ।
19. लोकपाल की न्यायपीठों का गठन ।

20. न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण ।

**खंड**

21. अध्यक्ष की मामले अंतरित करने की शक्ति ।

22. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना ।

**अध्याय 7**

**जांच और अन्वे-ण के संबंध में प्रक्रिया**

23. शिकायतों और जांच तथा अन्वे-ण से संबंधित उपबंध ।

24. दस्तावेज की निरीक्षण और उन व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, उसकी प्रतियां देना ।

25. प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का सुना जाना ।

26. लोकपाल द्वारा किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा ।

27. कतिपय मामलों में लोकपाल द्वारा अन्वे-ण और अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक न होना ।

28. ऐसे लोक सेवकों के संबंध में, जो मंत्री या संसद् सदस्य नहीं हैं, जांच पर कार्रवाई ।

29. ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध, जो मंत्री या संसद् सदस्य हैं, जांच पर कार्रवाई ।

**अध्याय 8**

**लोकपाल की शक्तियां**

30. तलाशी और अभिग्रहण ।

31. कतिपय मामलों में लोकपाल को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होना ।

32. केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकपाल की शक्ति ।

33. आस्तियों की अनंतिम कुर्की ।

34. आस्तियों की कुर्की की पुन्टि ।

35. भ्र-टाचार के अभिकथन से संबंधित लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने की लोकपाल की शक्ति ।

36. जांच के दौरान अभिलेखों के न-ट किए जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकपाल की शक्ति ।

37. प्रत्यायोजित करने की शक्ति ।

**अध्याय 9**

**विशे-न न्यायालय**

38. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले विशे-न न्यायालय ।

39. कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य को अनुरोध पत्र ।

**अध्याय 10**

**लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें**

40. ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध की गई शिकायतों का लोकपाल द्वारा जांच न किया जाना ।

41. लोकपाल के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें ।

खंड


अध्याय 11

**विशे-ा न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली**

42. विशे-ा न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली ।

अध्याय 12

**वित्त, लेखा और संपरिक्षा**

43. बजट ।
44. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
45. वार्-िाक लेखा विवरण ।
46. केन्द्रीय सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना ।

अध्याय 13

**आस्तियों की घो-ाणा**

47. आस्तियों की घो-ाणा ।
48. कतिपय मामलों में भ्र-ट साधनों द्वारा आस्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा ।

अध्याय 14

**अपराध और शास्तियां**

49. मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय ।
50. सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत किया जाना ।

अध्याय 15

**प्रकीर्ण**

51. किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
52. अन्य व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
53. लोकपाल के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।
54. कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू होना ।
55. अधिकारिता का वर्जन ।
56. विधिक सहायता ।
57. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
58. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना ।
59. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।
60. नियम बनाने की शक्ति ।
61. लोकपाल की विनियम बनाने की शक्ति ।
62. नियमों और विनियमों का रखा जाना ।
63. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

**2011 का विधेयक संख्यांक 39**

[दि लोकपाल बिल, 2011 का हिन्दी अनुवाद]

# लोकपाल विधेयक, 2011

**कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्र-टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनु-ंगिक वि-नयों का उपबंध करने के लिए विधेयक**

भारत के संविधान ने सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है ;

और, स्वच्छ तथा उत्तरदायी शासन के लिए देश की प्रतिबद्धता भ्र-टाचार के कार्यों की स्वतंत्र रूप से जांच करने और उसका अभियोजन करने वाली एक प्रभावी संस्था में अंतर्वि-ट होनी चाहिए ;

अतः, अब, भ्र-टाचार को रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी संस्था की स्थापना किया जाना समीचीन है ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्-ं में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोकपाल अधिनियम, 2011 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत से बाहर के लोक सेवकों को लागू होता है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह

अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभा-षाएं ।

**2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''न्यायपीठ'' से लोकपाल की न्यायपीठ अभिप्रेत है ;

(ख) ''अध्यक्ष'' से लोकपाल का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से,--

(i) मंत्रिपरि-ाद् के किसी सदस्य के संबंध में, प्रधानमंत्री अभिप्रेत है ;

(ii) मंत्री से भिन्न संसद् के किसी सदस्य के संबंध में--

(अ) राज्य सभा के किसी सदस्य की दशा में, राज्य सभा का सभापति ; और

(आ) लोक सभा के किसी सदस्य की दशा में, उस सदन का अध्यक्ष,

अभिप्रेत है ;

(iii) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के किसी अधिकारी के संबंध में, उस मंत्रालय या विभाग का, जिसके अधीन ऐसा अधिकारी सेवारत है, भारसाधक मंत्री अभिप्रेत है ;

(iv) संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोिनत या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अध्यक्ष या किन्हीं सदस्यों के संबंध में उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय का भारसाधक मंत्री अभिप्रेत है ;

(v) संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोिनत या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अधिकारी के संबंध में उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय का प्रधान अभिप्रेत है ;

(vi) ऊपर उपखंड (i) से उपखंड (v) के अंतर्गत न आने वाले किसी अन्य मामले में, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है :

परंतु यदि उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दि-ट कोई व्यक्ति संसद् का सदस्य भी है तो,--

(अ) ऐसे सदस्य के राज्य सभा का सदस्य होने की दशा में, राज्य सभा का सभापति ; और

(आ) ऐसे सदस्य के लोक सभा का सदस्य होने की दशा में, उस सदन का अध्यक्ष,

सक्षम प्राधिकारी होगा ;

(घ) ''शिकायत'' से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, की गई ऐसी शिकायत

अभिप्रेत है, जिसमें यह अभिकथन हो कि किसी लोक सेवक ने भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है ;

1988 का 49

(ङ) ''जांच'' से लोकपाल द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई जांच अभिप्रेत है ;

(च) ''न्यायिक सदस्य'' से उस रूप में नियुक्त लोकपाल का न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) ''लोकपाल'' से धारा 3 के अधीन स्थापित संस्था अभिप्रेत है ;

(ज) ''सदस्य'' से लोकपाल का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(झ) ''मंत्री'' से संघ का कोई मंत्री अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नहीं है ;

(ञ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ट) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ठ) ''लोक सेवक'' से धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) में निर्दि-ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ड) ''विनियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ढ) ''नियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(ण) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम की कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

1988 का 49

(त) ''विशे-ा न्यायालय'' से भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी विशे-ा न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाि-त नहीं किए गए हैं, किंतु भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में परिभाि-त किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

1988 का 49

(3) इस अधिनियम में किसी ऐसे अन्य अधिनियम या उसके उपबंध के, जो ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, प्रवृत्त नहीं है, प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त तत्संबंधी अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति निर्देश है ।

## अध्याय 2

## लोकपाल की स्थापना

लोकपाल की स्थापना ।

**3.** (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायतों के संबंध में जांच करने के प्रयोजन के लिए, ''लोकपाल'' नामक एक संस्था की स्थापना की जाएगी ।

(2) लोकपाल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(क) एक अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है ; और

(ख) उतने सदस्य, जो आठ से अधिक नहीं होंगे, जिनमें से कम से कम पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे ।

(3) कोई व्यक्ति,--

(क) किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ;

(ख) न्यायिक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह निर्दो-ा, सत्यनि-ठा, उत्कृ-ट योग्यता और प्रति-ठा वाला ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास भ्र-टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित मामलों में विशे-ा ज्ञान और पच्चीस व-र्ा से अन्यून का अनुभव है ।

(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा और विश्वास या लाभ का कोई पद (अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा और तदनुसार, अपना पदग्रहण करने से पूर्व, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि,--

(क) वह विश्वास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा ; या

(ख) वह कोई कारबार कर रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त करेगा ; या

(ग) वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसी वृत्ति नहीं करेगा ।

(5) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपना पदग्रहण करने से पूर्व, रा-ट्रपति के समक्ष पहली अनुसूची में उपवर्णित रूप में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे ।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और चयन समिति ।

**4.** (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, रा-ट्रपति द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनी एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात्, की जाएगी,--

(क) प्रधानमंत्री -- अध्यक्ष ;

(ख) लोक सभा का अध्यक्ष -- सदस्य ;

(ग) लोक सभा में विपक्षी दल का नेता -- सदस्य ;

(घ) राज्य सभा में विपक्षी दल का नेता -- सदस्य ;

(ङ) प्रधान मंत्री द्वारा नामनिर्दि-ट किया जाने वाला संघ के मंत्रिमंडल का सदस्य -- सदस्य

(च) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दि-ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश -- सदस्य ;

(छ) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दि-ट किया जाने वाला किसी उच्च न्यायालय का आसीन मुख्य न्यायमूर्ति -- सदस्य ;

(ज) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दि-ट किया जाने वाला विख्यात विधिवेत्ता -- सदस्य ;

(झ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दि-ट किया जाने वाला लोक जीवन में

ख्यातिप्राप्त एक व्यक्ति, जिसके पास भ्र-टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि या प्रबंधन में व्यापक ज्ञान और अनुभव है ।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति में कोई रिक्ति है ।

(3) चयन समिति, यदि वह लोकपाल के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए आवश्यक समझती है, तो ऐसे प्रति-ठावान व्यक्तियों से मिलकर बनी एक खोजबीन समिति का गठन कर सकेगी, जिनके पास भ्र-टाचार निवारण नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित वि-यों में या किसी ऐसे अन्य वि-य में, जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशे-ा ज्ञान और विशे-ाज्ञता है ।

(4) चयन समिति, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी, जो पारदर्शी होगी ।

(5) उपधारा (3) में निर्दि-ट खोजबीन समिति की कार्यावधि और उसके सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पेनल के चयन की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

अध्यक्ष या सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना ।

**5.** रा-ट्रपति, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम तीन मास पूर्व इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नए अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा या कराएगा ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।

**6.** अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, चयन समिति की सिफारिशों पर, रा-ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, पांच व-र्ा से अनधिक की अवधि तक या सत्तर व-र्ा की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेगा :

परंतु,--

(क) वह रा-ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ख) उसे धारा 8 में उपबंधित रीति में उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ।

**7.** (i) अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की हैं ;

(ii) अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की हैं :

परंतु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से,--

(क) उस पेंशन की रकम को ; और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व उसने ऐसे पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के

उस भाग की रकम को,

घटा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि अध्यक्ष या सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य का हटाया जाना और निलंबन ।

**8.** (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसे --

(i) रा-ट्रपति द्वारा, या

(ii) रा-ट्रपति द्वारा, संसद् के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर, या

(iii) रा-ट्रपति द्वारा, भारत के किसी नागरिक द्वारा की गई याचिका की प्राप्ति पर और जहां रा-ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि याचिका निर्दि-ट की जानी चाहिए,

किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह रिपोर्ट दी गई है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, रा-ट्रपति के आदेश द्वारा उस आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा ।

(2) रा-ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को कोई निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, रा-ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, रा-ट्रपति, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा सदस्य,--

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी संदत्त नियोजन में लगता है ; या

(ग) रा-ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है ।

(4) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किए गए किसी करार में किसी रूप में संबंधित या हितबद्ध है या होता है या किसी रूप में उसके लाभ में या किसी सदस्य के रूप से भिन्न रूप में और किसी निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में उससे उद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि में भागीदार बनता है तो उसे उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दो-ी समझा जाएगा ।

अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर निर्बंधन ।

**9.** (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, पद पर न रहने के पश्चात्,--

(i) लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा ;

(ii) किसी राजनयिक कर्तव्यभार, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्यभार या नियुक्ति के लिए, जो रा-ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है,

अपात्र होगा ;

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए अपात्र होगा ;

(iv) अध्यक्ष या सदस्य के पद पर न रहने की तारीख से पांच व-र्ा की अवधि के भीतर, रा-ट्रपति या उपरा-ट्रपति या संसद् के किसी भी सदन के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए अपात्र होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल कार्यावधि पांच व-र्ा से अधिक नहीं है ।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और उसके कृत्यों का निर्वहन करना ।

**10.** (1) रा-ट्रपति, अध्यक्ष के पद पर, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की दशा में, उस रिक्ति को भरने के लिए किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, वरि-ठतम सदस्य को, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपलब्ध ऐसा वरि-ठतम सदस्य, जिसे रा-ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनःग्रहण करता है, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

लोकपाल का सचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद ।

**11.** (1) लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति लोकपाल के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे अध्यक्ष निदेश दे :

परंतु रा-ट्रपति, नियम द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत, जो नियम में विनिर्दि-ट किए जाएं, नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, की जाएगी ।

(2) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें वे होंगी, जो लोकपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दि-ट की जाएं :

परंतु इस उपधारा के अधीन बनाए गए विनियमों के लिए, जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से है, रा-ट्रपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

## अध्याय 3

## अन्वे-ण खंड

अन्वे-ण खंड ।

**12.** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल, भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध के, जिसका किसी लोक सेवक द्वारा किए जाने का अभिकथन किया गया है, अन्वे-ण का संचालन करने के प्रयोजन के लिए, एक अन्वे-ण खंड का गठन करेगा :

1988 का 49

परंतु उस समय तक, जब तक लोकपाल द्वारा अन्वे-ण खंड गठित किया जाता है, केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अन्वे-ण करने के लिए अपने ऐसे मंत्रालयों या विभागों से, उतने अन्वे-ण अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने लोकपाल द्वारा अपेक्षा की जाए ।

(2) केंद्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा उस राज्य में लोकपाल के अन्वे-ण खंड के अधिकारियों की शक्तियों और अधिकारिता

1946 का 25

को विस्तारित कर सकेगी और दिल्ली विशे-ा पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 5 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो अन्वे-ाण खंड के सदस्य उस राज्य के पुलिस बल के सदस्य हों ।

अन्वे-ाण अधिकारी को पुलिस की शक्तियां होना ।

**13.** (1) कोई भी अन्वे-ाण, पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के अन्वे-ाण खंड के अन्वे-ाण अधिकारी द्वारा या समतुल्य पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(2) अन्वे-ाण खंड के अन्वे-ाण अधिकारियों को, धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दि-ट ऐसे अपराधों के अन्वे-ाण के संबंध में, वे सभी शक्तियां, कर्तव्य, विशे-ाधिकार और दायित्व होंगे, जो भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन ऐसे अपराधों के अन्वे-ाण के संबंध में पुलिस अधिकारियों के होते हैं । 1988 का 49

अन्वे-ाण अधिकारी द्वारा लोकपाल के निदेश पर जांच करना ।

**14.** (1) लोकपाल, इस अधिनियम के अधीन कोई जांच कराने से पूर्व, आदेश द्वारा उसके अन्वे-ाण खंड के अन्वे-ाण अधिकारी से, ऐसी रीति में, जो वह निदेश करे, एक प्रारंभिक अन्वे-ाण करने या करवाने और उसको इस बारे में अपना यह समाधान करने में समर्थ बनाने के लिए कि क्या मामले में लोकपाल द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता है या नहीं, ऐसे समय के भीतर, जो लोकपाल द्वारा निर्दि-ट किया जाए, लोकपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) अन्वे-ाण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर, उस उपधारा के अधीन विनिर्दि-ट समय के भीतर अन्वे-ाण पूरा करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

## अध्याय 4

## अभियोजन खंड

अभियोजन खंड और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति ।

**15.** (1) लोकपाल, इस अधिनियम के अधीन लोकपाल द्वारा किसी शिकायत के संबंध में, लोक सेवकों के अभियोजन के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक अभियोजन खंड का गठन कर सकेगा तथा अभियोजन निदेशक की और अभियोजन निदेशक की सहायता करने के लिए अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) अभियोजन निदेशक, लोकपाल द्वारा इस प्रकार निदेश दिए जाने पर, विशे-ा न्यायालय के समक्ष शिकायत फाइल करेगा और भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन के संबंध में सभी आवश्यक उपाय करेगा । 1988 का 49

## अध्याय 5

## लोकपाल की संस्था के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना

लोकपाल के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना ।

**16.** लोकपाल के व्ययों को, जिसके अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा और लोकपाल द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशियां उस निधि के भागरूप होंगी ।

## अध्याय 6

## जांच के संबंध में अधिकारिता

लोकपाल की अधिकारिता ।

**17.** (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकपाल निम्नलिखित के संबंध में किसी शिकायत में किए गए भ्र-टाचार के किसी अभिकथन में अंतर्वलित या

उससे उद्भूत होने वाले या संबद्ध किसी मामले के बारे में जांच करेगा, अर्थात् :--

(क) कोई प्रधानमंत्री, उसके द्वारा प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के पश्चात् ;

(ख) कोई अन्य व्यक्ति, जो संघ का मंत्री है या रहा है ;

(ग) कोई व्यक्ति, जो संसद् के किसी भी सदन का सदस्य है या रहा है ;

1988 का 49

(घ) भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में परिभा-ित लोक सेवकों में से कोई समूह 'क' या समतुल्य या उच्चतर अधिकारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहा है या जिसने सेवा की है ;

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित या केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोि-त या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे जो भी नाम हो) का अध्यक्ष या सदस्य या खंड (घ) में निर्दि-ट समूह 'क' या समतुल्य या उच्चतर अधिकारी के समतुल्य अधिकारी है या रहा है :

परंतु यह कि खंड (घ) में निर्दि-ट ऐसे अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने संघ के कार्यों के संबंध में या इस खंड में निर्दि-ट किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय में सेवा की है, किंतु अब राज्य के कार्यों के संबंध में या राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोि-त या नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) में सेवा की है, लोकपाल और उसके अन्वे-ाण खंड या अभियोजन खंड के अधिकारियों को केवल इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारियों की बाबत संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अधिकारिता होगी ;

(च) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोि-त या सहायता प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का, जिसकी वार्ि-क आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दि-ट करे, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है :

(छ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो जनता से कोई संदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति के संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का, जिसकी वार्ि-क आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दि-ट करे, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है :

परंतु इस धारा की कोई बात प्रधानमंत्री के संबंध में लागू नहीं होगी, वह चाहे किसी भी हैसियत में किसी लोक कृत्यकारी के रूप में कोई पद धारण कर रहा हो :

परंतु यह और कि इस खंड में निर्दि-ट किसी व्यक्ति को भ्र-टाचार निवारण
1988 का 49 अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे :

परंतु यह भी कि इस खंड के उपखंड (ङ) और उपखंड (च) की कोई बात धार्मिक प्रयोजन के लिए गठित किसी सोसाइटी या व्यक्ति के संगम या न्यास को

लागू नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल, संसद् के किसी भी सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (2) में अंतर्वि-ट उपबंधों के अंतर्गत आने वाले संसद् या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध भ्र-टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले में जांच नहीं करेगा ।

(3) लोकपाल, उपधारा (1) में निर्दि-ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण के बारे में जांच कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्र-टाचार के अभिकथन से सहयुक्त है : 1988 का 49

परंतु राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति की दशा में, इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(4) ऐसा कोई मामला, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन लोकपाल को शिकायत की गई है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दि-ट नहीं किया जाएगा । 1952 का 60

**स्प-टीकरण**--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोनित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत केवल ऐसी अवधि से संबद्ध होगी, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत में पद धारण या सेवा कर रहा था ।

लोकपाल से पूर्व किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों का प्रभावित न होना ।

**18.** यदि भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्र-टाचार के अभिकथन से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी जांच के प्रारंभ से पूर्व किसी न्यायालय या संसद् के किसी भी सदन की समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित पड़ी हुई है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष जारी रहेगी । 1988 का 49

**स्प-टीकरण**--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोनित किया जाता है कि ऐसे मामलों के सिवाय, जो संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (2) के अधीन संरक्षित है या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, किसी न्यायालय या संसद् के किसी भी सदन की किसी समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसे मामले या कार्यवाही के जारी रहने से इस अधिनियम के अधीन उस मामले में जांच करने की लोकपाल की शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

लोकपाल की न्यायपीठों का गठन ।

**19.** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--

(क) लोकपाल की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ;

(ख) कोई न्यायपीठ अध्यक्ष द्वारा दो या अधिक सदस्यों के साथ, जो अध्यक्ष ठीक समझे, गठित की जा सकेगी ;

(ग) प्रत्येक न्यायपीठ साधारणतया कम से कम एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बनेगी ;

(घ) जहां कोई न्यायपीठ अध्यक्ष से मिलकर बनती है, वहां उस न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी ;

(ङ) जहां कोई न्यायपीठ न्यायिक सदस्य और ऐसे गैर-न्यायिक सदस्य से मिलकर बनती है, जो अध्यक्ष नहीं है, वहां उस न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी ;

(च) लोकपाल की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में और ऐसे अन्य स्थानों पर अधिवि-ट होंगी, जो लोकपाल विनियमों द्वारा विनिर्दि-ट करे ।

(2) लोकपाल उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा, जिनके संबंध में लोकपाल की प्रत्येक न्यायपीठ अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को समय-समय पर, न्यायपीठों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी ।

(4) यदि किसी मामले या वि-नय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि मामला या वि-नय ऐसी प्रकृति का है कि उसकी सुनवाई तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो उस मामले या वि-नय को अध्यक्ष द्वारा ऐसी न्यायपीठ को, जिसे अध्यक्ष ठीक समझे, यथास्थिति, अंतरित किया जा सकेगा या अंतरण के लिए उसे निर्दि-ट किया जा सकेगा ।

न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण ।

**20.** जहां न्यायपीठें गठित की जाती हैं, वहां अध्यक्ष, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, न्यायपीठों के बीच लोकपाल के कार्य के वितरण के बारे में उपबंध कर सकेगा और उन वि-नयों का भी उपबंध कर सकेगा, जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष की मामले अंतरित करने की शक्ति ।

**21.** अध्यक्ष, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा अंतरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा ।

विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना ।

**22.** यदि दो सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद है तो वे उस मुद्दे या मुद्दों का, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे, जो स्वयं उस मुद्दे या मुद्दों की सुनवाई करेगा या लोकपाल के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए मामले को निर्दि-ट करेगा और उस मुद्दे या मुद्दों को लोकपाल के उन सदस्यों की बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिसके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने उसकी पहले सुनवाई की थी ।

## अध्याय 7

## जांच और अन्वे-ण के संबंध में प्रक्रिया

शिकायतों और जांच तथा अन्वे-ण से संबंधित उपबंध ।

**23.** (1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर, या तो कोई प्रारंभिक जांच कर सकेगा या यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्रवाई के लिए कोई प्रथमदृ-ट्या मामला विद्यमान है, प्रारंभिक अन्वे-ण करने के लिए उसे अपने अन्वे-ण खंड को निदि-ट कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक अन्वे-ण साधारणतया शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(3) प्रारंभिक अन्वे-ण के पूरा हो जाने पर, अन्वे-ण प्राधिकारी लोकपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच के अनुक्रम में और उपधारा (3) में निर्दि-ट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् इस नि-कर्ा पर पहुंचने से पूर्व कि ऐसी प्रारंभिक जांच के अनुसरण में लोक सेवक के विरुद्ध कोई प्रथमदृ-ट्या मामला बनता है, लोकपाल लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(5) जहां लोकपाल का, उपधारा (1) में यथानिर्दि-ट प्रारंभिक अन्वे-ाण के अनुसरण में अन्वे-ाण प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने या प्रारंभिक जांचों की समाप्ति के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि मामले में आगे कार्रवाई के लिए कोई प्रथमदृ-ट्या मामला नहीं बनता है तो वह शिकायत बंद कर दी जाएगी और उससे संबंधित विनिश्चय शिकायतकर्ता और लोक सेवक को संसूचित किया जाएगा ।

(6) जहां लोकपाल की यह राय है कि प्रथमदृ-ट्या मामला बनता है और वह अन्वे-ाण के लिए मामले को निर्दि-ट करता है वहां ऐसे अन्वे-ाण के पूरा होने पर और आरोप पत्र फाइल करने से पूर्व उस लोक सेवक को, जिसके विरुद्ध ऐसा अन्वे-ाण किया जा रहा है, सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(7) लोकपाल द्वारा की गई प्रत्येक जांच, यह समाधान हो जाने पर कि प्रथमदृ-ट्या मामला बनता है, जनता के लिए खुली होगी परंतु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में लोकपाल द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी जांच बंद कमरे में की जा सकेगी ।

(8) लोकपाल द्वारा, उपधारा (7) के अधीन शिकायत की जांच करने में अग्रसर होने की दशा में, वह ऐसी जांच यथासंभव शीघ्रता से करेगा और जांच को शिकायत प्राप्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पूरा करेगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(9) ऐसे लोक सेवक को, जिसके विरुद्ध उपधारा (8) के अधीन जांच की जा रही है, सुने जाने का अवसर दिया जाएगा ।

(10) जहां किसी मामले में लोकपाल की कारणों को लेखबद्ध करते हुए यह राय है कि न तो प्रारंभिक जांच करना और न ही प्रारंभिक अन्वे-ाण करना न्याय के हित में है, तो वह मामले को अन्वे-ाण के लिए निर्दि-ट कर सकेगा ।

(11) ऐसे अन्वे-ाण के पूरा होने पर किंतु आरोप पत्र फाइल करने से पूर्व, अन्वे-ाण प्राधिकारी उसके कब्जे में अभिलेखों के साथ प्रथमदृ-ट्या नि-क-र्ा को लोकपाल के समक्ष रखेगा जो आरोप पत्र फाइल किए जाने का निदेश देने से पूर्व संबंधित लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(12) यदि लोकपाल किसी शिकायत की जांच करने का प्रस्ताव करता है, तो वह किसी भी प्रक्रम पर,––

(क) ऐसी जांच से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जैसा कि वह उचित समझे समुचित आदेश पारित कर सकेगा ; और

(ख) संबंधित लोक सेवक को शिकायत की प्रति के साथ सभी सुसंगत सामग्री, जिसका अवलंब लिया गया है, अग्रेनित करेगा और उसे उसका मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकेगा ।

(13) लोकपाल की वेबसाइट पर, समय-समय पर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दि-ट की जाए, उसके समक्ष लंबित शिकायतों या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की प्रास्थिति जनता को प्रदर्शित की जाएगी ।

(14) लोकपाल ऐसे अभिलेखों और साक्ष्यों को विधारित कर सकेगा जिनसे जांच की प्रक्रिया या उसके द्वारा या विशे-ा न्यायालय द्वारा किसी मामले के संचालन में अड़चन आने की संभावना है ।

(15) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन जांच या अन्वे-ाण करने की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दि-ट की जाए ।

दस्तावेज का निरीक्षण और उन व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, उसकी प्रतियां देना ।

**24.** ऐसे मामलों में, जहां लोकपाल द्वारा किसी शिकायत का अन्वे-ण या जांच आरंभ करना प्रस्तावित है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जांच या अन्वे-ण किया जाना प्रस्तावित है, अभिकथित किसी अपराध के कारित किए जाने के संबंध में किसी अभिलेख का निरीक्षण करने और उससे कोई उद्धरण लेने का हकदार होगा, जो उसके मामले की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाए ।

प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का सुना जाना ।

**25.** यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर,--

(क) लोकपाल भावी अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) लोकपाल की यह राय है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर जांच द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

तो लोकपाल उस व्यक्ति को जांच में सुने जाने का और उसके पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह कि इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां साक्षी की विश्सनीयता को प्रश्नगत किया जा रहा है ।

लोकपाल द्वारा किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा ।

**26.** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी जांच या अन्वे-ण के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, लोकपाल या अन्वे-ण प्राधिकारी किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में ऐसी जांच या अन्वे-ण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है, ऐसी सूचना देने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

कतिपय मामलों में लोकपाल द्वारा अन्वे-ण और अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक न होना ।

1974 का 2
1988 का 49

**27.** (1) लोकपाल या उसके अन्वे-ण खंड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन लोकपाल द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी शिकायत की कोई जांच करने या उसके अन्वे-ण खंड द्वारा अन्वे-ण करने या उसके संबंध में किसी विशे-ा न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अधीन शिकायत करने के लिए किसी मंजूरी या अनुमोदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

1974 का 2
1988 का 49

(2) विशे-ा न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी लोकपाल या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल की गई शिकायत पर किसी लोक सेवक द्वारा कारित अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्वि-ट कोई बात संविधान के उपबंधों के अनुसरण में पद धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में और जिनके संबंध में ऐसे व्यक्ति को हटाने संबंधी प्रक्रिया उसमें विनिर्दि-ट की गई है, लागू नहीं होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्वि-ट उपबंध संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखंड (ग) में अंतर्वि-ट उपबंधों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे ।

ऐसे लोक सेवकों के संबंध में, जो मंत्री या संसद् सदस्य नहीं हैं, जांच पर कार्रवाई ।

1988 का 49

**28.** (1) जहां, जांच या अन्वे-ण की समाप्ति पर लोकपाल के नि-कर्-ा से, भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दि-ट लोक सेवक द्वारा किसी अपराध के कारित होने का प्रकटन होता है, वहां लोकपाल--

(क) विशे-ा न्यायालय में मामला फाइल कर सकेगा और अपने नि-क-र्ों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेज सकेगा ;

(ख) सक्षम प्राधिकारी को ऐसे लोक सेवक को लागू अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करने की सिफारिश कर

सकेगा ;

(ग) लोक सेवक या उसके प्रतिनिधि को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करा सकेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने की तीस दिन की अवधि के भीतर भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध कारित करने के अभियुक्त कदाचारी लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करेगा और रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई सहित उस पर अपनी टिप्पणियां साधारणतया ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करने के छह मास के भीतर लोकपाल को भेजेगा । 1988 का 49

ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जो मंत्री या संसद् सदस्य है, जांच पर कार्रवाई ।

**29.** (1) जहां, जांच या अन्वे-ण की समाप्ति पर लोकपाल के नि-कर्-ा से भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दि-ट किसी लोक सेवक द्वारा किसी अपराध के कारित होने का प्रकटन होता है, वहां लोकपाल विशे-ा न्यायालय में मामला फाइल कर सकेगा और अपने नि-क-र्ों के साथ रिपोर्ट की प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेज सकेगा । 1988 का 49

(2) किसी मंत्री की दशा में प्रधानमंत्री, लोक सभा के सदस्य की दशा में लोक सभा का अध्यक्ष और राज्य सभा के सदस्य की दशा में राज्य सभा का सभापति, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसे, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा, जब वह सत्र में हो, यथाशक्यशीघ्र और यदि, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा सत्र में नहीं हो तो, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा के सत्र के पुनः समवेत होने की एक सप्ताह की अवधि के भीतर, उसके पटल पर रखवाएगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन उसे अग्रेनित रिपोर्ट की जांच करेगा और रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर लोकपाल को, रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की, संसूचना देगा ।

**स्प-टीकरण**--इस उपधारा में निर्दि-ट नब्बे दिन की अवधि की संगणना करने में, ऐसी किसी अवधि को, जिसके दौरान संसद् या, यथास्थिति, संसद् का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, अपवर्जित किया जाएगा ।

### अध्याय 8

## लोकपाल की शक्तियां

तलाशी और अभिग्रहण ।

**30.** (1) यदि लोकपाल का यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वे-ण या जांच के लिए उपयोगी या सुसंगत होगा, किसी स्थान पर छिपा रखा है तो वह अन्वे-ण खंड के किसी अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों की तलाशी और उनका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) यदि लोकपाल का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत कोई दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वे-ण या जांच के प्रयोजन के लिए साक्ष्य होगा और ऐसे दस्तावेज को उसकी अभिरक्षा में या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में, जो प्राधिकृत किया जाए, प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह उसे ऐसे प्रतिधारित कर सकेगा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे दस्तावेज को ऐसे अन्वे-ण या जांच के पूरा होने तक प्रतिधारित करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु जहां किसी दस्तावेज को वापस करना अपेक्षित है, वहां लोकपाल या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे दस्तावेज की सम्यक्तः अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के पश्चात्, उसे वापस कर सकेगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशियों से संबंधित उपबंध, जहां तक वे इस धारा 1974 का 2

के अधीन इस उपांतरण के अधीन रहते हुए तलाशियों को लागू होते हैं कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) का प्रभाव ऐसे होगा मानो ''मजिस्ट्रेट'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह उसमें आता है, ''लोकपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी'' शब्द रख दिए गए हों ।

कतिपय मामलों में लोकपाल को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होना ।

**31.** (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी जांच के प्रयोजन के लिए, लोकपाल को निम्नलिखित मामलों के सबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :--

1908 का 5

(i) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;

(ii) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(iii) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना ;

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना ;

(v) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना:

परंतु यह कि साक्षियों की दशा में ऐसा कमीशन तभी निकाला जाएगा जब लोकपाल की राय में साक्षी लोकपाल के समक्ष कार्यवाहियों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है ; और

(vi) ऐसे अन्य वि-नय, जो विहित किए जाएं ।

1860 का 45

(2) लोकपाल के समक्ष की कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकपाल की शक्ति ।

**32.** (1) लोकपाल, कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वे-ण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा ।

(2) जांच से तात्पर्यित किसी मामले का अन्वे-ण करने के प्रयोजन के लिए कोई अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, लोकपाल के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए,--

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा कर सकेगा ।

(3) वह अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, जांच से तात्पर्यित किसी मामले का अन्वे-ण करेगा और उस पर लोकपाल को एक रिपोर्ट, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी लोकपाल द्वारा इस निमित्त विनिर्दि-ट की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

आस्तियों की

**33.** (1) जहां लोकपाल या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्वे-ण अधिकारी

अनंतिम कुर्की ।

के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा,--

(क) किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्र-टाचार के आगम हैं ;

(ख) ऐसा व्यक्ति भ्र-टाचार से संबंधित कोई अपराध कारित करने का अभियुक्त है ; और

(ग) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या ऐसी रीति से बरतने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से संबंधित कोई कार्यवाहियां विफल हो सकती हैं,

वहां लोकपाल या ऐसा अन्वे-ाण अधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसी संपत्ति को ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति में कुर्क कर सकेगा और, यथास्थिति, लोकपाल या ऐसे अन्वे-ाण अधिकारी को उस अनुसूची के नियम 1 के उपनियम (ङ) के अधीन एक अधिकारी समझा जाएगा । 1961 का 43

(2) लोकपाल, उपधारा (1) के अधीन कुर्की के तुरंत पश्चात् आदेश की प्रति उसके कब्जे में की उस उपधारा में निर्दि-ट सामग्री सहित विशे-ा न्यायालय को एक सीलबंद लिफाफे में उस रीति में, जो विहित की जाए, अग्रेि-त करेगा और ऐसा न्यायालय कुर्की के आदेश का विस्तार कर सकेगा और ऐसी सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रख सकेगा, जो न्यायालय उचित समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश उस उपधारा में विनिर्दि-ट अवधि के अवसान पर या उपधारा (2) के अधीन विशे-ा न्यायालय द्वारा निदेशित अवधि के अवसान पर नि-प्रभावी हो जाएगा ।

(4) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कुर्क स्थावर संपत्ति के उपभोग में हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी ।

**स्प-टीकरण**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में ''हितबद्ध व्यक्ति'' में उस संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं ।

आस्तियों की कुर्की की पुन्टि ।

**34.** (1) लोकपाल, जब वह धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तीस दिन की अवधि के भीतर, अपने अभियोजन खंड को विशे-ा न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करने तथा विशे-ा न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक संपत्ति की कुर्की की पुन्टि की प्रार्थना करने संबंधी आवेदन फाइल करने का निदेश देगा ।

(2) विशे-ा न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति का अर्जन भ्र-ट साधनों से किया गया है, ऐसी संपत्ति की कुर्की की तब तक पुन्टि करने का आदेश कर सकेगा जब तक कि विशे-ा न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियां पूरी न हो जाएं ।

(3) यदि लोक सेवक को तत्पश्चात् उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दो-ामुक्त कर दिया जाता है तो विशे-ा न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए संपत्ति को ऐसे फायदों सहित जो कि कुर्की की अवधि के दौरान उपगत हुए हों, संबंधित लोक सेवक को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ।

(4) यदि लोक सेवक को तत्पश्चात् भ्र-टाचार के आरोपों में सिद्धदो-ा ठहराया जाता है तो भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध से संबंधित आगमों का अधिहरण 1988 का 49

किया जाएगा और उन्हें केंद्रीय सरकार में किसी विल्ललंम या पट्टाधृत हित से मुक्त रूप में किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा शोध्य ऋण को शामिल न करते हुए, निहित किया जाएगा ।

**स्प-टीकरण**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''बैंक'', ''ऋण'' और ''वित्तीय संस्था'' पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (घ), खंड (छ), खंड (ज) में है । 1993 का 51

भ्र-टाचार के अभिकथन से संबंधित लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने की लोकपाल की शक्ति ।

**35.** (1) जहां लोकपाल का भ्र-टाचार के अभिकथनों की जांच करते समय उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृ-ट्या यह समाधान हो जाता है, कि--

(क) जांच करते समय धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दि-ट लोक सेवक के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है ; या

(ख) खंड (क) में निर्दि-ट लोक सेवक साक्ष्य को न-ट करने या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ करने या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है,

वहां, लोकपाल ऐसे लोक सेवक को उसके द्वारा धारित पद से ऐसी अवधि तक जो आदेश में विनिर्दि-ट की जाए, स्थानांतरित करने या उसे निलंबित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार सामान्यतया उपधारा (1) के अधीन की गई लोकपाल की सिफारिश को, जहां प्रशासनिक कारणों से स्वीकार करना साध्य नहीं है, ऐसे किसी मामले में उन कारणों के सिवाय, जो अभिलिखित किए जाएं, स्वीकार करेगी ।

जांच के दौरान अभिलेखों के न-ट किए जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकपाल की शक्ति ।

**36.** लोकपाल, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में,--

(क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को न-ट किए जाने या उसकी नुकसान से संरक्षा करने ; या

(ख) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से लोक सेवक को रोकने ; या

(ग) लोक सेवक को भ्र-ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं आस्तियों को अंतरित करने या उनका अन्यसंक्रामण करने से रोकने,

के लिए किसी ऐसे लोक सेवक को समुचित निदेश जारी कर सकेगा जिसे दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है ।

प्रत्यायोजित करने की शक्ति ।

**37.** लोकपाल, लिखित में साधारण या विशे-ा आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो उसमें विनिर्दि-ट की जाएं, के अधीन रहते हुए यह निदेश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी, जो उस आदेश में विनिर्दि-ट किए जाएं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा ।

## अध्याय 9

## विशे-ा न्यायालय

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले विशे-ा न्यायालय ।

1988 का 49

**38.** (1) केन्द्रीय सरकार भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों की सुनवाई करने और उनका विनिश्चय करने के लिए उतने विशे-ा न्यायालयों का गठन कर सकेगा जितनों कि लोकपाल द्वारा सिफारिश की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशे-ा न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल

किए जाने की तारीख से एक व-र्ा की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण को पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा :

परंतु यदि विचारण एक व-र्ा की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो विशे-ा न्यायालय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधियों के भीतर जो तीन मास से अधिक की न होगी, ऐसी प्रत्येक तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व किंतु दो व-र्ा की कुल अवधि से अनधिक के भीतर विचारण को, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, पूरा करेगा ।

कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य को अनुरोध पत्र ।

**39.** (1) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए, यदि, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाही में किसी जांच या अन्वे-ाण के अनुक्रम में, लोकपाल के अन्वे-ाण अधिकारी द्वारा विशे-ा न्यायालय को यह आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में जांच या अन्वे-ाण करने के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशे-ा न्यायालय, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में जांच या अन्वे-ाण के संबंध में अपेक्षित है, वह कार्यवाही करने के लिए सक्षम संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय को या प्राधिकारी को ऐसे अनुरोध के साथ अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा कि वह,-- 1974 का 12

(i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करे ;

(ii) ऐसे उपाय करे जो विशे-ा न्यायालय ऐसे अनुरोध पत्र में विनिर्दि-ट करे ; और

(iii) ऐसे ग्रहण किए गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्य को ऐसा अनुरोध पत्र जारी करने वाले विशे-ा न्यायालय को अग्रे-ाित करे ।

(2) अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारे-ाित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विहित करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज जांच या अन्वे-ाण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा ।

## अध्याय 10
## लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध की गई शिकायतों का लोकपाल द्वारा जांच न किया जाना ।

**40.** (1) लोकपाल अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध की गई किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत व्यथित पक्षकार द्वारा रा-ट्रपति को एक आवेदन द्वारा की जाएगी ।

(3) रा-ट्रपति, यदि पक्षपात या भ्र-टाचार के संबंध में कोई प्रथमदृ-ट्या मामला विद्यमान है, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को ऐसी रीति में निर्देश करेगा जो अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध शिकायत की जांच करने के लिए विहित की जाए ।

(4) रा-ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय के आधार पर अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई विनिश्चित करेगा और यदि उक्त राय के आधार पर रा-ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अध्यक्ष या सदस्य पक्षपाती है या भ्र-टाचार में संलिप्त है तो रा-ट्रपति, धारा 8 की उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को हटाएगा और भ्र-टाचार के अभिकथन की दशा में अभियोजन आरंभ किए जाने का भी आदेश करेगा ।

लोकपाल के पदाधिकारियों के

**41.** (1) भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 1988 का 49

विरुद्ध शिकायतें ।

लोकपाल के अधीन या उससे सहबद्ध किसी अधिकारी या कर्मचारी या अन्वे-ाण अभिकरण के विरुद्ध किए गए दो-पूर्ण कार्य के अभिकथन के संबंध में की गई प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(2) लोकपाल की गई शिकायत या अभिकथन की जांच, उसके प्राप्त किए जाने की तारीख से तीस दिन अवधि के भीतर पूरा करेगा ।

(3) लोकपाल अथवा लोकपाल में अभिनियोजित या उससे सहबद्ध किसी अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जांच करते हुए यदि, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर लोकपाल का प्रथमदृ-ट्या यह समाधान हो जाता है, कि--

(क) जांच करते समय लोकपाल या उसमें अभिनियोजित या उससे सहबद्ध अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है ; या

(ख) लोकपाल या उसमें अभिनियोजित या सहबद्ध अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी साक्ष्य को न-ट कर सकता है या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है,

तो लोकपाल, आदेश द्वारा, लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकपाल में अभिनियोजित या उससे सहबद्ध ऐसे अभिकरण को उसके द्वारा इससे पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से निर्निहित कर सकेगा ।

1988 का 49

(4) ऐसी जांच के पूरे हो जाने पर, यदि लोकपाल का यह समाधान हो जाता है कि भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध या किसी दो-पूर्ण कार्य के किए जाने का प्रथमदृ-ट्या साक्ष्य है तो वह ऐसी जांच के पूरा होने की पद्रंह दिन की अवधि के भीतर लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या लोकपाल में अभिनियोजित या उससे सहबद्ध अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को अभियोजित करने का आदेश देगा और संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या उसमें अभिनियोजित या उससे सहबद्ध अभिकरण के अधिकारी या कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

## अध्याय 11

## विशे-ा न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

1988 का 49

विशे-ा न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली ।

**42.** यदि कोई लोक सेवक विशे-ा न्यायालय द्वारा भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदो-ा ठहराया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय, ऐसे लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों या विनिश्चयों के कारण राजको-ा को हुई हानि, यदि कोई हो, का निर्धारण कर सकेगा और जिसके लिए वह सिद्धदो-ा ठहराया गया है और इस प्रकार सिद्धदो-ा ठहराए गए लोक सेवक से, ऐसी हानि की, यदि संभव या परिमाणीय मात्रा में हो, वसूली का आदेश कर सकेगा :

परंतु यदि विशे-ा न्यायालय, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं इस नि-कर्-ा पर पहुंचता है कि कारित हानि इस प्रकार सिद्धदो-ा ठहराए गए लोक सेवक के कार्यों या विनिश्चयों के फायदाग्राही या फायदाग्राहियों के साथ -ाडयंत्र के अनुसरण में हुई थी, तो इस धारा के अधीन ऐसी हानि भी, यदि वह इस धारा के अधीन निर्धारित की गई है और परिमाणीय मात्रा में है, आनुपातिक रूप से ऐसे फायदाग्राही या फायदाग्राहियों से वसूल की जा सकेगी ।

## अध्याय 12
## वित्त, लेखा और संपरीक्षा

बजट ।

**43.** लोकपाल, प्रत्येक वित्तीय व-र्ा में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अगले वित्तीय व-र्ा के लिए, लोकपाल की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने संबंधी अपना बजट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को सूचनार्थ अग्रेन्ति करेगा ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

**44.** धारा 16 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् लोकपाल को ऐसी धन राशि अनुदत्त कर सकेगी, जो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों के लिए और प्रशासनिक खर्चों के लिए, जिनके अंतर्गत लोकपाल के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी हैं, संदत्त की जानी अपेक्षित हैं ।

वार्निक लेखा विवरण ।

**45.** (1) लोकपाल, उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, लेखाओं का वार्निक विवरण तैयार करेगा ।

(2) लोकपाल के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षा की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दि-ट किए जाएं ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को या इस अधिनियम के अधीन लोकपाल के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशे-ाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं और विशि-टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और लोकपाल के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकपाल के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को वार्निक रूप से अग्रेन्ति किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

केन्द्रीय सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना ।

**46.** (1) लोकपाल, ऐसी विवरणियां और विवरण और लोकपाल की अधिकारिता के अधीन किसी वि-नय के संबंध में ऐसी विशि-टियां जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाए या जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(2) लोकपाल पूर्ववर्-ा के दौरान अपने क्रियाकलापों का एक सारांश देते हुए एक वार्निक रिपोर्ट प्रत्येक व-र्ा ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेन्ति की जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति इसके प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशीघ्र रखी जाएगी ।

## अध्याय 13
## आस्तियों की घो-णा

आस्तियों की घो-णा ।

**47.** (1) प्रत्येक लोक सेवक इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन यथाउपबंधित रीति में अपनी आस्तियों और दायित्वों की घो-णा करेगा ।

(2) प्रत्येक लोक सेवक उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को--

(क) उन आस्तियों के संबंध में, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथक रूप से, स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा ।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उस रूप में अपना पद धारण करने वाला प्रत्येक लोक सेवक इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (2) में यथानिर्दि-ट आस्तियों और दायित्वों से संबंधित सूचना देगा ।

(4) प्रत्येक लोक सेवक प्रत्येक व-र्ा की 31 जुलाई को या उससे पूर्व उस व-र्ा की 31 मार्च तक, उपधारा (2) में यथानिर्दि-ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों की वार्-िक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास फाइल करेगा ।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्-िक विवरणी सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जो विहित की जाए ।

(6) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक कार्यालय या विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस व-र्ा की 31 अगस्त तक ऐसे कार्यालय या विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं ।

**स्प-टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''आश्रित बालक'' से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक् साधन नहीं हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर निर्भर हैं ।

कतिपय मामलों में भ्र-ट साधनों द्वारा आस्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा ।

**48.** यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर या ऐसे कारणों से जो न्यायोचित नहीं हैं,--

(क) अपनी आस्तियों की घो-णा करने में असफल रहता है ; या

(ख) ऐसी आस्तियों की बाबत भ्रामक जानकारी देता है और उसके कब्जे में ऐसी आस्तियां पाई जाती हैं जिनका प्रकटन नहीं किया गया है या जिनकी बाबत भ्रामक जानकारी दी गई थी,

तो ऐसी आस्तियों के बारे में, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वे लोक सेवक की हैं और उन आस्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे भ्र-ट साधनों द्वारा अर्जित की गई हैं :

परंतु सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक को ऐसे न्यूनतम मूल्य, जो विहित किया जाए, से अनधिक की आस्तियों की बाबत सूचना देने से उपमर्-ित कर सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा ।

## अध्याय 14

## अपराध और शास्तियां

मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक

**49.** (1) इस अधिनियम में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या और तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत करता है तो वह दो-सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो व-र्ा से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच

व-र्ा तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

को प्रतिकर आदि का संदाय ।

(2) किसी विशे-ा न्यायालय के सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

(3) कोई भी विशे-ा न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध कोई मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत की गई थी, शिकायत किए जाने पर ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा और ऐसे अभियोजन से संबंधित सभी व्ययों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति [जो कोई व्यक्ति या सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास है (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं)] की इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करने के लिए दो-ासिद्धि की दशा में, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोक सेवक को, जिसके विरुद्ध उसने मिथ्या शिकायत की थी, ऐसे लोक सेवक द्वारा मुकदमा लड़ने के लिए विधिक व्ययों के अतिरिक्त, जो विशे-ा न्यायालय अवधारित करे, ऐसे प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत किया जाना ।

**50.** (1) जहां किसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हैं अथवा नहीं) द्वारा धारा 49 के अधीन कोई अपराध किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध कारित किए जाने के समय प्रत्यक्ष रूप से ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास का भारसाधक था और ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास के कारबार या कार्यों या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी था और साथ ही ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास को अपराध का दो-ी समझा जाएगा और वह तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा :

परंतु यह कि इस उपधारा में अंतर्वि-ट कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए उस दशा में दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह उनकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण कारित हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दो-ी माना जाएगा और वह तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा ।

## अध्याय 15

## प्रकीर्ण

किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

**51.** किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हैं या उसके शासकीय कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों के प्रयोग में की जानी आशयित हैं, नहीं होंगी।

अन्य व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

**52.** लोकपाल के विरुद्ध या किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या जो की जाने के लिए आशयित है, नही होंगी ।

लोकपाल के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

**53.** लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्रवाई कर रहे हों या कार्रवाई करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक माना जाएगा ।

1860 का 45

कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू होना ।

**54.** लोकपाल किसी शिकायत की जांच या अन्वे-ण नहीं करेगा, यदि शिकायत, उस तारीख से, जिसको उस शिकायत में उल्लिखित अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया है, सात व-र्ा की अवधि के अवसान के पश्चात् की जाती है ।

अधिकारिता का वर्जन ।

**55.** किसी सिविल न्यायालय की ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए लोकपाल इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है ।

विधिक सहायता ।

**56.** लोकपाल, इस अधिनियम के अधीन, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध उसके समक्ष कोई शिकायत फाइल की गई है, उसके समक्ष अपने मामले की प्रतिरक्षा करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसी सहायता के लिए अनुरोध किया गया है ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

**57.** इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्वि-ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना ।

**58.** इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।

**59.** दूसरी अनुसूची में विनिर्दि-ट अधिनियमितियों को उसमें विनिर्दि-ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

**60.** (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशि-टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं वि-नयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दि-ट शिकायत का प्ररूप ;

(ख) खोज समिति का कार्यकाल, उसके सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन नामों के पैनल के चयन की रीति ;

(ग) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने के लिए कदाचार की जांच की प्रक्रिया ;

(घ) वह पद या ऐसे पद, जिनके संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी ;

(ड) ऐसे अन्य वि-नय, जिनके लिए लोकपाल को धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (vi) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी ;

(च) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन विशे-न न्यायालय को सामग्री के साथ कुर्की का आदेश भेजने की रीति ;

(छ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन अनुरोध पत्र संप्रेनित करने की रीति ;

(ज) धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्देश करने की रीति ;

(झ) प्रत्येक वित्तीय व-र्ा में आगामी वित्तीय व-र्ा के लिए बजट तैयार करने का प्ररूप और समय, जिसमें धारा 43 के अधीन लोकपाल की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे ;

(ञ) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिए प्ररूप और वार्-िक लेखा विवरणों का प्ररूप ;

(ट) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन विशि-टियों सहित विवरणियां और विवरण, तैयार करने का प्ररूप और रीति तथा समय ;

(ठ) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन वार्-िक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती व-र्ा के दौरान उसके क्रियाकलापों के संक्षिप्त ब्यौरे दिए जाएंगे, तैयार करने का प्ररूप और रीति तथा समय ;

(ड) धारा 47 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा वार्-िक विवरणी फाइल करने का प्ररूप ;

(ढ) ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी किसी लोक सेवक को धारा 48 के परंतुक के अधीन आस्तियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने से माफी या छूट प्रदान कर सकेगा ;

(ण) ऐसा कोई अन्य वि-नय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जा सकेगा ।

लोकपाल की विनियम बनाने की शक्ति ।

**61.** (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकपाल, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा ।

(2) विशि-टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं वि-नयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तें और ऐसे वि-नय, जिनके लिए, जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशन से है, धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन रा-ट्रपति का अनुमोदन अपेक्षित है ;

(ख) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन लोकपाल की न्यायपीठों के अधिवि-ट होने का स्थान ;

(ग) लोकपाल की वेबसाइट पर सामग्री उपदर्शित करने की रीति, धारा 23 की उपधारा (13) के अधीन लंबित या निपटाई गई सभी शिकायतों की प्रास्थिति, उनके प्रतिनिर्देश से उनके अभिलेखों और साक्ष्यों सहित ;

(घ) धारा 23 की उपधारा (15) के अधीन कोई जांच या अन्वे-ण करने की रीति और प्रक्रिया ;

(ङ) ऐसा कोई अन्य वि-नय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दि-ट किया

जाना अपेक्षित है या जिसे विनिर्दि-ट किया जाए ।

नियमों और विनियमों का रखा जाना ।

**62.** इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह नि-प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या नि-प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

**63.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो व-र् की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

## पहली अनुसूची

**[धारा 3 (5) देखिए]**

मैं, अमुक, जो लोकपाल का अध्यक्ष (या सदस्य) नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनि-ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और नि-ठा रखूंगा और यह कि मैं सम्यक् प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वे-ा के बिना पालन करूंगा ।

## दूसरी अनुसूची

**[धारा 59 देखिए]**

## कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

### भाग 1

### जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन

**(1952 का 60)**

धारा 3 का संशोधन ।

धारा 3 की उपधारा (1) में, ''समुचित सरकार'' शब्दों के स्थान पर, ''लोकपाल अधिनियम, 2011 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समुचित सरकार'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

### भाग 2

### भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का संशोधन

**(1988 का 49)**

धारा 13 का संशोधन ।

**1.** धारा 13 की उपधारा (2) में, ''सात वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 14 का संशोधन ।

**2.** धारा 14 में, ''सात वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 19 का संशोधन ।

**3.** धारा 19 की उपधारा (1) में, ''लोक सेवक द्वारा किया गया है,'' शब्दों के पश्चात्, ''लोकपाल अधिनियम, 2011 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

भाग 3

## दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

**(1974 का 2)**

धारा 197 का संशोधन ।

धारा 197 में, ''न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान'' शब्दों के पश्चात्, ''लोकपाल अधिनियम, 2011 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

# उद्देश्यों और कारणों का कथन

एक मजबूत और प्रभावी लोकपाल की संस्था की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जाती रही है । प्रशासनिक सुधार समिति ने व-र्ा 1966 में प्रस्तुत ''नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं'' पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस संबंध में केंद्र में लोकपाल की एक संस्था की स्थापना करने की सिफारिश की थी । प्रशासनिक सुधार समिति की इस सिफारिश को प्रभावी करने के लिए पूर्व में, अर्थात् व-र्ा 1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 और 2001 में लोकपाल पर आठ विधेयक लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए थे । तथापि, 1985 के विधेयक के सिवाय, जिसे उसके पुरःस्थापन के पश्चात् वापस ले लिया गया था, ये विधेयक संबंधित लोक सभा के विघटन के कारण व्यपगत हो गए थे ।

2. उच्च स्थानों में लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्र-टाचार संबंधी शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए एक तंत्र का गठन करने की आवश्यकता महसूस की गई है । इस संबंध में, केंद्रीय सरकार ने लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए 8 अप्रैल, 2011 को एक संयुक्त प्रारूपण समिति गठित की थी ।

3. विचार-विमर्शों के आधार पर और कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्र-टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए एक मजबूत और प्रभावी लोकपाल की संस्था की स्थापना करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित वि-ायों का उपबंध करने के लिए एक स्वतंत्र विधान अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात् :–

(i) एक अध्यक्ष और आठ सदस्यों वाली लोकपाल की संस्था की स्थापना करना, जिनमें से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे ;

(ii) ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों वाला लोकपाल का अपना अन्वे-ाण खंड और अभियोजन खंड गठन करना, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं ;

(iii) उन लोक कृत्यकारियों का प्रवर्ग, जिनके विरुद्ध भ्र-टाचार के अभिकथनों की जांच की जाती हैं, अर्थात् :–

(क) कोई प्रधानमंत्री, उसके पद छोड़ने के पश्चात् ;

(ख) संघ का कोई मंत्री ;

(ग) कोई संसद् सदस्य ;

(घ) कोई समूह 'क' अधिकारी या समतुल्य ;

(ङ) संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोि-त या नियंत्रित किसी निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कंपनी, सोसाइटी, न्यास, स्वशासी निकाय के अध्यक्ष या सदस्य, समूह 'क' के समतुल्य अधिकारी ;

(च) किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास का, जो सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोि-त या सहायता प्राप्त है या जनता से कोई संदान प्राप्त कर रहा है और जिसकी वार्ि-क आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दि-ट करे, कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, किंतु धार्मिक प्रयोजन के लिए सृजित और जनता से संदान प्राप्त

करने वाले संगठन लोकपाल की परिधि से बाहर होंगे ;

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का उपबंध करना कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन कोई मंजूरी या अनुमोदन ऐसे मामलों में अपेक्षित नहीं होगा, जहां अभियोजन लोकपाल द्वारा प्रस्तावित किया गया है ;

(v) लोकपाल को तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति तथा सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां प्रदत्त करना ;

(vi) लोकपाल या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्वे-ण अधिकारी को ऐसी संपत्ति कुर्क करने के लिए सशक्त करना, जो, प्रथमदृ-ट्या, भ्र-ट साधनों से अर्जित की गई है ;

(vii) लोकपाल के समक्ष शिकायतें फाइल करने के लिए अभिकथित अपराध के किए जाने की तारीख से सात व-र्ा की परिसीमा की अवधि अधिकथित करना ;

(viii) लोकपाल को पुलिस की ऐसी शक्तियां प्रदत्त करना, जो पुलिस अधिकारियों को अन्वे-ण के संबंध में होती हैं ;

(ix) लोकपाल के व्ययों को भारत की संचित निधि पर भारित करना ;

(x) जांच का संचालन करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करना ;

(xi) भ्र-टाचार के आरोप से संबद्ध लोक सेवकों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करना ;

(xii) प्रस्तावित अधिनियमिति के अधीन भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से प्रोद्भूत मामलों की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त संख्या में विशे-न न्यायालयों का गठन करना, जो लोकपाल द्वारा सिफारिश की जाए ;

(xiii) प्रत्येक लोक सेवक से उसकी आस्तियों और दायित्वों की घो-णा कराना और व्यतिक्रम या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने की दशा में यह उपधारणा करना कि लोक सेवक ने भ्र-ट माध्यमों से ऐसी आस्तियां अर्जित की हैं ;

(xiv) ऐसे व्यक्तियों के, जो मिथ्या या तुच्छ या तंग करने वाली शिकायतें करते हैं, अभियोजन के लिए उपबंध करना ।

4. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्वि-ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्प-ट करते हैं ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

**नई दिल्ली ;** **वी. नारायणसामी**
**1 अगस्त, 2011**

## खंडों पर टिप्पण

**खंड 1**—विधेयक का यह खंड प्रस्तावित लोकपाल विधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह उपबंध करता है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और केंद्रीय सरकार प्रस्तावित विधान के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगी ।

**खंड 2**—यह खंड विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, ''न्यायपीठ'', ''सक्षम प्राधिकारी'', ''शिकायत'', ''जांच'', न्यायिक सदस्य'', ''लोकपाल'', ''सदस्य'', ''मंत्री'', ''लोक सेवक'' और ''विशेष न्यायालय'' आदि पद भी हैं । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, विशेष न्यायालय होगा ।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान में किसी अन्य अधिनियम या उसके उपबंध के, जो ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसको प्रस्तावित विधान लागू होता है, प्रवृत्त नहीं है, प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति निर्देश है ।

**खंड 3**—यह खंड अध्यक्ष और आठ सदस्यों से मिल कर बने लोकपाल की स्थापना का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि पचास प्रतिशत सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे । अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश है या रहा है । न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है । सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जो निर्दोष सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास भ्रष्टाचार निवारण नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी हैं, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और पच्चीस वर्ष से अन्यून का अनुभव है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि लोकपाल का अध्यक्ष या कोई सदस्य, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा और विश्वास या लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या अपना कारबार अथवा कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, उसके द्वारा धारित विश्वास या लाभ के पद का त्याग करेगा या उसके द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त करेगा या यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसी वृत्ति नहीं करेगा ।

**खंड 4**—यह खंड अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति और उस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति के गठन के लिए उपबंध करता है । अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री, लोक सभा के अध्यक्ष, लोक सभा में विरोधी दल के नेता, राज्य सभा में विरोधी दल के नेता, संघ के एक केबिनेट मंत्री, उच्चतम न्यायालय के एक आसीन न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायामूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के एक आसीन न्यायाधीश, एक विख्यात विधिवेत्ता और लोक जीवन में ख्यातिप्राप्त, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबंधन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले एक व्यक्ति से, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा, मिलकर बनी एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात्, की जाएगी । चयन समिति, लोकपाल के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए और नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पेनल तैयार करने के लिए ऐसे प्रतिष्ठावान व्यक्तियों से मिलकर बनी एक खोजबीन समिति का गठन कर सकेगी,

जिनके पास भ्र-टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित वि-नयों में या किसी ऐसे अन्य वि-नय में, जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों का चयन करने के लिए उपयोगी हो, विशे-न ज्ञान और विशे-नज्ञता है ।

**खंड 5**—यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी नए अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय, यथास्थिति, उस अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम तीन मास पूर्व प्रस्तावित विधान में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे ।

**खंड 6**—यह खंड अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधियों से संबद्ध है और यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति, रा-ट्रपति द्वारा, उनके हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन अधिपत्र द्वारा की जाएगी और वह उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच व-र्ा से अनधिक की अवधि के लिए या सत्तर व-र्ा की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में पद धारण करेगा ।

**खंड 7**—यह खंड अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों से संबद्ध है । यह खंड यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की हैं । सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की हैं । इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष या सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

**खंड 8**—यह खंड लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने और उनके निलंबन का उपबंध करता है । अध्यक्ष और सदस्यों को, उच्चतम न्यायालय द्वारा, रा-ट्रपति द्वारा, स्वप्रेरणा से उसको किए गए किसी निर्देश पर या संसद् के कम से कम एक सौ सदस्यों की याचिका पर या रा-ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्दि-ट किसी नागरिक की याचिका पर विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् कदाचार के आधार पर रा-ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य, जिसकी बाबत उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, उच्चतम न्यायालय से उसे किए गए निर्देश पर रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आदेश किए जाने तक रा-ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकेगा । उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों से परे संदत्त नियोजन में लगता है या यदि रा-ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है । उपखंड (4) ऐसे कतिपय आधारों का उपबंध करता है जिनमें अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार का दो-ी समझा जाएगा ।

**खंड 9**—यह खंड अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद धारण न करने के पश्चात् नियोजन पर निर्बंधन के लिए उपबंध करता है । इसमें यह उपबंध है कि अध्यक्ष या सदस्य लोकपाल में पुनर्नियुक्ति या किसी राजनयिक कर्तव्यभार या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति या लाभ के किसी अन्य पद पर आगे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । इसमें यह भी उपबंध है कि लोकपाल का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, पद त्याग करने की तारीख से पांच व-र्ा की अवधि तक, रा-ट्रपति या उप रा-ट्रपति या संसद् के किसी भी सदन के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन के सदस्य या नगरपालिका या पंचायत का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए अपात्र होंगे । तथापि, कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल कार्यावधि पांच व-र्ा से अधिक नहीं है ।

**खंड 10**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि अध्यक्ष के पद पर, उसकी मृत्यु,

पदत्याग के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की दशा में, रा-ट्रपति, वरि-ठतम सदस्य को, रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जब अध्यक्ष अनुपस्थिति या छुट्टी के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो रा-ट्रपति, वरि-ठतम सदस्य को, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

**खंड 11**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल के सचिव या अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति, लोकपाल के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे अध्यक्ष निदेश दे । रा-ट्रपति ऐसे नियम बना सकेगा कि किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाएगी ।

**खंड 12**—यह खंड भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जिसका लोक सेवक द्वारा किए जाने का अभिकथन किया गया है, अन्वे-ण करने के प्रयोजन के लिए, लोकपाल के एक अन्वे-ण खंड की स्थापना करने का उपबंध करता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि उस समय तक, जब तक अन्वे-ण खंड का लोकपाल द्वारा गठन किया जाता है, केंद्रीय सरकार अपने अन्वे-ण अधिकारियों और लोकपाल द्वारा अपेक्षित अन्य कर्मचारिवृंद की सेवाएं उपलब्ध कराएगी । यह खंड लोकपाल के अन्वे-ण खंड के अधिकारियों की शक्तियों और अधिकारिता का राज्यों को, संबंधित राज्य सरकार की सहमति से विस्तारण करने के लिए भी उपबंध करता है और ऐसे विस्तारण पर लोकपाल के अन्वे-ण खंड के सदस्यों को कार्य करने के लिए दिल्ली विशे-ा पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के कतिपय उपबंधों के अधीन अधिकारिता और शक्तियां होंगी, मानो वे संबंधित राज्य के पुलिस बल के सदस्य हों ।

**खंड 13**—यह खंड यह अनुबंधित करता है कि अन्वे-ण अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी की पंक्ति के होंगे ।

**खंड 14**—यह खंड यह अधिकथित करता है कि लोकपाल, अपने अन्वे-ण खंड के अन्वे-ण अधिकारी से प्रारंभिक अन्वे-ण करने और विनिर्दि-ट समय के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिससे वह इस बारे में अपना यह समाधान कर सके कि क्या लोकपाल द्वारा मामले में और जांच किए जाने की आवश्यकता है या नहीं ।

**खंड 15**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल, अभियोजन निदेशक के अधीन ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित, जो भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन के प्रयोजन के लिए उसे सहायता करने के लिए अपेक्षित हों, एक अभियोजन खंड का गठन कर सकेगा, ऐसा अभियोजन विशे-ा न्यायालय के समक्ष लोकपाल द्वारा किए जाने वाली शिकायतों के संबंध में होगा ।

**खंड 16**—यह खंड यह अधिकथित करता है कि लोकपाल के व्यय, जिसके अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि लोकपाल द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशियां भारत की संचित निधि का भाग बनेंगी ।

**खंड 17**—यह खंड लोकपाल की अधिकारिता से संबद्ध है । उपखंड (1) यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल, प्रधानमंत्री, उसके पद छोडने के पश्चात्, किसी मंत्री, संसद् के किसी भी सदन के किसी सदस्य, भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में यथा परिभाि-त लोक सेवकों में से किसी समूह 'क' या समतुल्य या उच्चतर अधिकारी, जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहा था या जिसने सेवा की है और संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोि-त या नियंत्रित कतिपय बोर्डों, निगमों, प्राधिकरण, आदि के अध्यक्ष या सदस्य

या अधिकारियों ; कतिपय सोसाइटियों, व्यक्तियों के संगम, आदि के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों और सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोनित या सहायता प्राप्त प्रत्येक ऐसी अन्य सोसाइटी, आदि के, जिसकी वार्निक आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो गैर-धार्मिक प्रयोजन के लिए है और लोक संदान प्राप्त कर रही है, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की बाबत किसी शिकायत में भ्र-टाचार के किसी अभिकथन में अंतर्वलित या उससे प्रोद्भूत या संबद्ध किसी मामले के बारे में जांच करेगा । तथापि, प्रधानमंत्री द्वारा धारित विभिन्न पद इस उपबंध की परिधि के भीतर नहीं आएंगे ।

उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि लोकपाल, संसद् के किसी भी सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध संसद् या संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (2) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाली उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध भ्र-टाचार के किसी मामले में जांच नहीं करेगा ।

उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि लोकपाल, किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण के बारे में जांच कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्र-टाचार के अभिकथन से सहयुक्त है ।

उपखंड (4) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसे मामले, जिनकी बाबत प्रस्तावित अधिनियमिति के अधीन शिकायत की गई है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दि-ट नहीं किए जाएंगे । खंड 17 का स्प-टीकरण यह स्प-ट करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन कोई शिकायत केवल ऐसी अवधि से संबंधित होगी, जिसके दौरान लोक सेवक पद धारण कर रहा था या उस रूप में सेवा कर रहा था ।

**खंड 18**—यह खंड यह अधिकथित करता है कि प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से पूर्व किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामले, यथास्थिति, उस न्यायालय, समिति या प्राधिकरण के समक्ष जारी रहेंगे । तथापि, कार्यवाहियों के ऐसे जारी रहने से प्रस्तावित विधान के अधीन ऐसे मामले की जांच करने की लोकपाल की शक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**खंड 19**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा । लोकपाल की किसी न्यायपीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा दो या अधिक सदस्यों के साथ किया जा सकेगा । प्रत्येक न्यायपीठ साधारणतया उसमें कम से कम एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बनेगी । लोकपाल की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली और ऐसे स्थानों पर होंगी, जो लोकपाल विनियमों द्वारा विनिर्दि-ट करे ।

**खंड 20**—यह खंड अध्यक्ष को लोकपाल के कार्य, उसकी न्यायपीठों के बीच वितरित करने और उन मामलों को भी विनिर्दि-ट करने के लिए सशक्त करता है, जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी ।

**खंड 21**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि अध्यक्ष, एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को, शिकायतकर्ता या लोक सेवक से ऐसे अंतरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा ।

**खंड 22**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल का विनिश्चय लोकपाल के सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार होगा । तथापि, यदि दो सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों की राय में किसी मुद्दे या मुद्दों पर मतभेद है तो उसे अध्यक्ष को निर्दि-ट किया जाएगा । अध्यक्ष या तो ऐसे मुद्दे या मुद्दों की स्वयं सुनवाई कर सकेगा या एक या अधिक अन्य सदस्य द्वारा सुनवाई के लिए उसे निर्दि-ट कर सकेगा और उसका विनिश्चय ऐसे सदस्यों के, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिसके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने

उसकी पहले सुनवाई की थी, बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

**खंड 23**—यह खंड शिकायत और लोकपाल द्वारा जांच और अन्वे-ाण से संबंधित उपबंध करता है । यह खंड यह उपबंध करता है कि लोकपाल, किसी शिकायत की प्राप्ति पर, या तो प्रारंभिक जांच कर सकेगा या अपने अन्वे-ाण खंड को यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या मामले में कार्यवाही करने के लिए कोई प्रथमदृ-ट्या मामला विद्यमान है, प्रारंभिक जांच करने का निदेश दे सकेगा । कोई प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक अन्वे-ाण साधारणतया तीस दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए । तथापि, यह अवधि विस्तारण के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की और अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि ऐसे मामलों में, जहां लोकपाल की कारणों को लेखबद्ध करते हुए यह राय है कि प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक अन्वे-ाण कराना न्याय के हित में नहीं है, वहां वह मामले को अन्वे-ाण के लिए निर्दि-ट कर सकेगा । उपखंड (4) यह उपबंध करता है कि लोकपाल प्रारंभिक जांच के अनुक्रम में इस नि-कर्-ा पर पहुंचने से पूर्व कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रथमदृ-ट्या मामला बनता है, उस लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि जहां लोकपाल की यह राय है कि लोक सेवक के विरुद्ध प्रथमदृ-ट्या मामला बनाया गया है, वहां उस लोक सेवक को, जिसके विरुद्ध ऐसा अन्वे-ाण संचालित किया जा रहा है, आरोपपत्र फाइल करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

**खंड 24**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि उन व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध कोई जांच या अन्वे-ाण किया जाना प्रस्तावित है, किसी अभिकथित अपराध के किए जाने के संबंध में किसी अभिलेख का निरीक्षण करने, जो उनके मामले की प्रतिरक्षा में उनके लिए आवश्यक हों, और उनसे उद्धरण लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

**खंड 25**—यह खंड यह उपबंध करता है कि उन व्यक्तियों को, जिनके प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो, जांच में सुने जाने का और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संगत अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा । तथापि, यह वहां लागू नहीं होगा, जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता प्रश्नगत की जा रही है ।

**खंड 26**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जांच या अन्वे-ाण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

**खंड 27**—यह खंड यह उपबंध करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन लोकपाल या उसके अन्वे-ाण खंड द्वारा कोई पूर्व मंजूरी या अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।

**खंड 28**—यह खंड ऐसे लोक सेवकों के संबंध में, जो मंत्री या संसद् सदस्य नहीं है, जांच या अन्वे-ाण पूरा हो जाने पर लोकपाल द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए उपबंध करता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि जांच या अन्वे-ाण के पूरा होने पर, जहां यह पाया जाता है कि किसी लोक सेवक द्वारा भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध किया गया है, वहां लोकपाल विशे-ा न्यायालय में मामला फाइल कर सकेगा और सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट और अपने नि-कर्ों की एक प्रति भेज सकेगा, सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करने की सिफारिश कर सकेगा तथा रिपोर्ट की एक प्रति लोक सेवक या उसके प्रतिनिधि को भी उपलब्ध करा सकेगा ।

**खंड 29**—यह खंड ऐसे लोक सेवकों के संबंध में, जो मंत्री या संसद् सदस्य हैं, जांच या अन्वे-ाण के पूरा होने पर लोकपाल द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए उपबंध करता है । यह खंड यह उपबंध करता है कि जहां ऐसे लोक सेवकों द्वारा भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध किया गया है, वहां लोकपाल विशे-ा न्यायालय में मामला

फाइल कर सकेगा और प्रस्तावित विधान में यथा परिभाषित सक्षम प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति भेज सकेगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी रिपोर्ट की जांच करेगा और रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट के आधार पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई लोकपाल को संसूचित करेगा । तथापि, नब्बे दिन की अवधि की संगणना करने में उस अवधि को अपवर्जित किया जाएगा, जिसके दौरान संसद् सत्र में नहीं होगी ।

**खंड 30**—यह खंड लोकपाल को दस्तावेजों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति प्रदत्त करने के लिए है ।

**खंड 31**—यह खंड यह उपबंध करता है कि लोकपाल को कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और लोकपाल के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

**खंड 32**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा । यह खंड लोकपाल को ऐसे अधिकारियों को कतिपय शक्तियां प्रदत्त करने के लिए समर्थ बनाता है ।

**खंड 33**—यह खंड लोकपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्वेषण अधिकारी द्वारा आस्तियों की अनंतिम कुर्की के लिए उपबंध करता है, यदि ऐसी आस्तियां भ्रष्टाचार के कोई आगम हैं ।

**खंड 34**—यह खंड लोकपाल द्वारा की गई आस्तियों की अनंतिम कुर्की की विशेष न्यायालय द्वारा पुष्टि के लिए उपबंध करता है ।

**खंड 35**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबद्ध किसी लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन के लिए सिफारिश कर सकेगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि लोकपाल की सिफारिश को साधारणतया सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा ।

**खंड 36**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल जांच के दौरान अभिलेखों को नष्ट किए जाने से रोकने के लिए निदेश दे सकेगा ।

**खंड 37**—यह खंड यह उपबंध करता है कि लोकपाल लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, यह निदेश दे सकेगा कि उसे प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

**खंड 38**—यह खंड भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या प्रस्तावित विधान के अधीन प्रोद्भूत मामलों की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए लोकपाल द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों के गठन का उपबंध करता है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा । तथापि, यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है, तो विशेष न्यायालय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर और प्रत्येक ऐसी तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से प्रत्येक तीन मास से अनधिक, किंतु दो वर्ष की कुल अवधि से अनधिक, की और अवधियों के भीतर विचारण पूरा करेगा ।

**खंड 39**—यह खंड कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या

प्राधिकरण को अनुरोध पत्र जारी करने का उपबंध करता है ।

**खंड 40**—यह खंड लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करने का उपबंध करता है ।

**खंड 41**—यह खंड लोकपाल के पदधारियों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करने का उपबंध करता है ।

**खंड 42**—यह खंड यह उपबंध करता है कि जब किसी लोक सेवक ने भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कोई अपराध कारित किया है, तब विशे-ा न्यायालय, लोक सेवक के ऐसे कार्यों या विनिश्चयों के कारण, जो सद्भावपूर्वक नहीं किए गए हैं और जिसके लिए वह दो-ासिद्ध ठहराया जाता है, लोक खजाने को हुई हानि, यदि कोई हो, का निर्धारण कर सकेगा और न्यायालय, ऐसी हानि की वसूली का आदेश कर सकेगा ।

**खंड 43**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि लोकपाल, लोकपाल की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला अपना बजट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को सूचनार्थ अग्रे-ित करेगा ।

**खंड 44**—यह खंड यह उपबंध करता है कि खंड 16 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, लोकपाल को ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों के लिए और प्रशासनिक खर्चों, जिनके अंतर्गत लोकपाल के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी हैं, के लिए संदत्त की जानी अपेक्षित हैं ।

**खंड 45**—यह खंड लोकपाल द्वारा लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों और लेखाओं का वार्-िक विवरण रखे जाने का उपबंध करता है । इसमें यह और उपबंध है कि लोकपाल के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी । इसमें यह भी उपबंध है कि लोकपाल के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को वार्-िक रूप से अग्रे-ित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी ।

**खंड 46**—यह खंड यह उपबंध करता है कि लोकपाल केन्द्रीय सरकार को ऐसी विवरणियां या विवरण और लोकपाल की अधिकारिता के अधीन किसी वि-ाय के संबंध में ऐसी विशि-टियां प्रस्तुत करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, विहित करे ।

**खंड 47**—यह खंड यह उपबंध करता है कि लोक सेवक इस अधिनियम में यथा उपबंधित रीति में अपनी आस्तियों और दायित्वों की घो-ाणा करेंगे ।

**खंड 48**—यह खंड यह उपबंध करता है कि लोक सेवक द्वारा अपनी आस्तियों की घो-ाणा करने में जानबूझकर किसी असफलता के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि आस्तियों को भ्र-ट साधनों द्वारा अर्जित किया गया है ।

**खंड 49**—यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत करता है तो वह अभियोजन के लिए दायी होगा और दो-ासिद्धि पर दो व-र् की न्यूनतम अवधि और पांच व-र् की अधिकतम अवधि के कारावास से, और जुर्माने से, जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए और अधिकतम दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जा सकेगा ।

**खंड 50**—यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि मिथ्या शिकायत किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास द्वारा की जाती है तो उस दशा में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध कारित किए जाने के समय ऐसी सोसाइटी आदि के कार्यों या क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक था, खंड 48 के अधीन अपराध का दो-ी समझा जाएगा और दंड के लिए

दायी होगा ।

**खंड 51**—यह खंड सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई के लिए विधिक कार्यवाहियों आदि से लोक सेवक के संरक्षण का उपबंध करता है ।

**खंड 52**—यह खंड लोकपाल, किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित विधान या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में की गई कार्रवाई के संरक्षण का उपबंध करता है ।

**खंड 53**—यह खंड यह उपबंध करता है कि लोकपाल का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे ।

**खंड 54**—यह खंड लोकपाल के समक्ष शिकायतें फाइल करने के लिए अभिकथित अपराध किए जाने की तारीख से सात व-र् की परिसीमा की अवधि का उपबंध करता है ।

**खंड 55**—यह खंड यह उपबंध करता है कि ऐसे मामलों में, जिनके लिए लोकपाल प्रस्तावित विधान के अधीन सशक्त है, किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी ।

**खड 56**—यह खंड यह उपबंध करता है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध लोकपाल के समक्ष कोई शिकायत की गई है, उसके समक्ष किसी मामले में प्रतिरक्षा करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, यदि ऐसी सहायता के लिए अनुरोध किया गया हो ।

**खंड 57**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित विधान के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा ।

**खंड 58**—यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे ।

**खंड 59**—यह खंड प्रस्तावित विधान की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दि-ट कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए है ।

**खंड 60**—यह खंड केंद्रीय सरकार को, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) ऐसे विभिन्न वि-ायों को प्रगणित करता है, जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे ।

**खंड 61**—यह खंड लोकपाल को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों और खंड 60 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत विनियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करने के लिए है । उपखंड (2) ऐसे विभिन्न वि-ायों को प्रगणित करता है, जिनकी बाबत ऐसे विनियम बनाए जा सकेंगे ।

**खंड 62**—यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

**खंड 63**—यह खंड कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति से संबंधित है । यदि प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हों । तथापि, इस खंड के अधीन ऐसा कोई आदेश, प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से दो व-र् की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा और प्रत्येक ऐसा आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए भी अपेक्षित होगा ।

प्रस्तावित विधान की **पहली अनुसूची** शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप अधिकथित करती है, जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा किया जा

सकेगा ।

**दूसरी अनुसूची** में कतिपय अधिनियमितियों में ऐसे संशोधनों के ब्यौरे अंतर्वि-ट हैं, जो प्रस्तावित विधान के अधिनियमन के पारिणामिक हैं ।

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का उपखंड (1) उन शिकायतों की बाबत, जो प्रस्तावित विधान के अधीन की जा सकेंगी, जांच करने के प्रयोजन के लिए लोकपाल नामक एक संस्था की स्थापना का उपबंध करता है ।

2. खंड 3 का उपखंड (2) अध्यक्ष और आठ सदस्यों से मिलकर बने लोकपाल की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है । विधेयक का खंड 7 यह परिकल्पित करता है कि लोकपाल के अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की हैं और सदस्यों की वही होंगी, जो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की हैं । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन में से किसी पेंशन और ऐसे अन्य पेंशन संबंधी फायदों के समतुल्य पेंशन को घटा दिया जाएगा, जिसके लिए सदस्य भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में हकदार हो ।

3. विधेयक का खंड 11 लोकपाल के लिए एक सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो इस प्रयोजन के लिए लोकपाल द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दि-ट की जाएं ।

4. खंड 12 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि लोकपाल, भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का, जिसका किसी लोक सेवक द्वारा किए जाने का अभिकथन किया गया है, अन्वे-ण करने के प्रयोजन के लिए एक अन्वे-ण खंड का गठन करेगा । विधेयक के खंड 15 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि लोकपाल, लोकपाल द्वारा किसी शिकायत के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन के प्रयोजन के लिए एक अभियोजन निदेशक के अधीन ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद सहित एक अभियोजन खंड का गठन करेगा । खंड 32 का उपखंड (1) कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वे-ण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करने के लिए लोकपाल को सशक्त करता है ।

5. विधेयक का खंड 16 यह उपबंध करता है कि लोकपाल के व्यय, जिसके अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और लोकपाल द्वारा ली गई कोई फीस और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग बनेंगी ।

6. इस प्रक्रम पर, लोकपाल पर उपगत होने वाले व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा देना संभव नहीं है । तथापि, यह प्रत्याशा की जाती है कि विधेयक में, यदि यह अधिनियमित किया जाता है और प्रवर्तन में लाया जाता है, तो किसी वित्तीय व-र्ा में पचास करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय और एक सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय अंतर्वलित होगा । यदि लोकपाल की स्थापना करने के लिए किसी भवन का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है तो लगभग चार सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती प्रकृति का अतिरिक्त व्यय भी अंतर्वलित हो सकेगा ।

7. विधेयक में, यदि यह अधिनियमित किया जाता है, तो कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 60 केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (1) उन वि-नयों को विनिर्दि-ट करता है, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे । ये वि-नय, अन्य बातों के साथ, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दि-ट शिकायत के प्ररूप, खोजबीन समिति की कालावधि, खोजबान समिति के सदस्यों को संदेय फीस ; और भत्तों और नामों के पैनल के चयन की रीति ; अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने के लिए कदाचार के बारे में जांच की प्रक्रिया ; उन पदों, जिनकी बाबत नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् की जाएंगी ; उन वि-नयों, जिनके लिए लोकपाल को किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी ; किसी विशे-ा न्यायालय को कुर्की का कोई आदेश भेजने की रीति, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन अनुरोध पत्र के पारे-ाण की रीति ; भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्देश करने की रीति ; बजट तैयार करने का प्ररूप और समय ; लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिए प्ररूप और लेखाओं के वार्ि-क विवरण के प्ररूप ; धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां और विवरण तैयार करने की रीति और समय ; वार्ि-क रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ; धारा 47 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा फाइल की जाने वाली वार्ि-क विवरणी के प्ररूप ; वह न्यूनतम मूल्य, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी धारा 48 के परंतुक के अधीन आस्तियों की बाबत सूचना प्रस्तुत करने से किसी लोक सेवक को माफी या छूट प्रदान कर सकेगा, से संबंधित हैं ।

2. विधेयक का खंड 61 लोकपाल को, अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ऐसे विनियम प्रस्तावित विधान के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों से संगत होने चाहिएं । उन वि-नयों के, जिनकी बाबत लोकपाल विनियम बना सकेगा, अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की सेवा की शर्तें और वे वि-नय, जो, जहां तक वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों, लोकपाल की न्यायपीठों के अधिवि-ट होने के स्थान, लोकपाल की वेबसाइट पर लंबित या निपटाई गई सभी शिकायतों की प्रास्थिति संप्रदर्शित करने की रीति और किसी जांच या अन्वे-ाण का संचालन करने की रीति और प्रक्रिया से संबंधित हैं, भी हैं ।

3. प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियम और विनियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित होंगे ।

4. वे वि-नय, जिनकी बाबत प्रस्तावित विधान के अधीन नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों के वि-नय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

## जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 60) से उद्धरण

* * * * * *

आयोग की नियुक्ति ।

**3.** (1) समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की नियुक्ति, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने तथा ऐसे कृत्यों को, और इतने समय के अन्दर, जो अधिसूचना में विनिर्दि-ट हो, करने के प्रयोजन के लिए उस दशा में, जिसमें उसकी यह राय है कि वैसा करना आवश्यक है, कर सकेगी और उस दशा में जिसमें, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त संकल्प पारित किया जाए, करेगी और ऐसे नियुक्त आयोग तद्नुसार जांच करेगा और कृत्यों का पालन करेगा :

परन्तु जहां किसी मामले को जांच के लिए ऐसे आयोग की नियुक्ति--

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कोई भी राज्य सरकार तब तक नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो ;

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार तब तक जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो, उस दशा के सिवाय नहीं करेगी जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय है कि जांच की परिधि दो या अधिक राज्यों तक विस्तारित कर दी जानी चाहिए ।

* * * * * *

## भ-ट्राचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 49) से उद्धरण

* * * * * *

लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार ।

**13.** (1) * * * * *

(2) कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा इतनी अवधि के लिए जो एक व-र्ा से कम की न होगी किन्तु जो सात व-र्ा तक की हो सकेगी, कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

धारा 8, धारा 9 और धारा 12 के अधीन अभ्यासतः अपराध करना ।

**14.** जो कोई--

(क) धारा 8 या धारा 9 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासतः करेगा ; या

(ख) धारा 12 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासतः करेगा,

वह इतनी अवधि के लिए जो दो व-र्ा से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात व-र्ा तक की हो सकेगी, कारावास से, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

### अध्याय 5

## अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबंध

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना ।

**19.** (1) कोई न्यायालय धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक

द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा--

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के संबंध में, नियोजित है और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्र सरकार ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्र सरकार ;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे उसके पद से हटाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ।

* * * * * *

## दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * * *

न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन ।

**197.** (1) जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान--

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, केंद्रीय सरकार की ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की,

पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं :

परंतु जहां अभिकथित अपराध खंड (ख) में निर्दि-ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घो-णा प्रवृत्त थी, वहां खंड (ख) इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाले ''राज्य सरकार'' पद के स्थान पर ''केंद्रीय सरकार'' पद रख दिया गया है ।

* * * * * *